निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)
(सं0 पटना 445) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

———

अधिसूचना

26 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन–30/2020–1520/न0वि0एवंआ0वि0––बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले पश्चिम चम्पारण जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4323 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत लौरिया	लौरिया–432 पकडी–431 मरहिया–435 पडरौन–436 ढढ़वा–430	लौरिया, पकडी एवं मरहिया (पूर्ण क्षेत्र)	उत्तर–सिकरहना नदी दक्षिण–बसरिया, ठाकुर टोला–449, 434 पूरब–बेलवा–433 पश्चिम–विशुनपुरवा–437	20489

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत लौरिया कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in